



# सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) 1398, प्रथम तल, चौदनी चौक, दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-23832226

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्री सूचना।**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी विक्री 29.01.2021 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) अथवा <https://ibapi.in> में प्रावधानित लिंक देखें।

## 29.01.2021 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (30 दिवसीय सूचना)

क्र.सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी	मौग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	कम्प. की तिथि एवं प्रारंभ	रु. लाख में
1.	वसुन्धरा, गाजियाबाद	श्री एम.के. गुप्ता/ श्रीमती शिशा प्रकाश मोबाइल: 8800013545	पुष्पेन्द्र कुमार	दूसरा तल एलआईजी फ्लैट, एसएफ-4, चार मंजिला इमारत में से, प्लॉट नं. बी-5/1, डीएलएफ अंकुर विहार, निकट शिव वाटिका मन्दिर लोनी गाजियाबाद, उपप्र0-201102, क्षेत्र 37.16 वर्गमीटर।	09.07.2018 रु.14.09 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियाँ/ पुनर्भुगतान	28.10.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 11.10 लाख ₹ 1.11 लाख ₹ 0.15 लाख
2.	विकास मिनार नई दिल्ली	श्री एम.के.गुप्ता/ श्री रमेश कुमार मोबाइल: 9453432191	रंजना जैन	ई-422, खसरा नं.827 का भाग, गाँव-घोण्डा, गुजरान खार, ई-ब्लॉक, गली नं.5, जगजीत नगर, शाहडूरा, दिल्ली-110053. क्षेत्र 76.08 वर्गमीटर।	15.11.2018 रु.21.23 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियाँ/ पुनर्भुगतान	21.11.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 26.25 लाख ₹ 2.63 लाख ₹ 0.30 लाख
3.	एलआरपीजी कोलज, गाजियाबाद	श्री एम.के.गुप्ता/ श्रीमती संस्था सिंह मोबाइल: 8800013520	गणेश साहु	भूतल, आवासीय बिल्डर फ्लैट, सामने/ पूर्वी भाग, प्लॉट नं. जीएफ-1, प्लॉट नं.बी-7/2, निकट अपना पार्क, डीएलएफ अंकुर विहार, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद-201102. क्षेत्र 65.03 वर्गमीटर।	01.05.2019 रु.10.67 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियाँ/ पुनर्भुगतान	28.10.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 13.50 लाख ₹ 1.35 लाख ₹ 0.15 लाख

**ई-नीलामी की तिथि: 29.01.2021, समय: 12:00 बजे बोपहर से 02:00 बजे अप.** तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित। ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 28.01.2021 को 04:00 बजे अप. तक। सविदाकार वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण करेगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पुनर्ईएमडी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी बालेट में जमा की जानी है (<https://www.mstcecommerce.com> से चालान के सृजन के बाद)। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता <https://www.mstcecommerce.com> के माध्यम से संचालित की जायेगी।

**ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर आयोजित की जायेगी।** विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) अथवा नीलामी प्लेटफार्म (<https://mstcecommerce.com>) में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004.

**सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत वैधानिक 30 दिन की विक्री सूचना** कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपयुक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/विक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूली किया जायेगा।

**दिनांक: 25.12.2020**

**स्थान: दिल्ली**

श्री एम. के. गुप्ता, मोबा: 7428536228, प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर.ओ. (उत्तर), चौदनी चौक, दिल्ली

## लियम एवं शर्तें:

(1) अधिस्ताधिकारी द्वारा यह विक्री 29.01.2021 (12:00 बजे अप. से 2:00 बजे अप.) को वेबसाइट: <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता/केताओं से अनुरोध है कि अपने मांगबल नम्बर तथा ई-मेल आई डी का उपयोग करते हुए पोर्टल (<https://www.mstcauction.com>) पर पंजीकरण करायें। पुनः उनसे अप्रारंभ है कि केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करायें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों की एक बार जाँच करने के बाद (जिसमें 2 कार्यों दिवस लग सकता है) इच्छुक बोलीदाता/केता को नीलामी के समय से पूर्व अग्रिम में अपने ग्लोबल ईएमडी बालेट में ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी बालेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में पंजीकृत की गई कीमत नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा बालेट में ईएमडी का अन्तर्गत नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी बोली दे सकते हैं। उनके बालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होगा। बोलीदाता के ग्लोबल बालेट में बोली के समय में पर्याप्त शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा। (2) उपरोक्त धरोहर राशि भुगतान (एसबीआई) राशि का भुगतान बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी बालेट में पुनर्ईएमडी/अन्तरण (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाइन किया जायेगा। पुनर्ईएमडी अन्तरण किसी अनुसूचित बाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसी किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैंक में बांँधित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (3) ई-नीलामी के लिये प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 225-सी. ए.जे.सी. बोर रोड, कोलकाता-700020, इच्छुक बोलीदाता केता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन मोनोस्टेशन/प्रशिक्षण भी दी जायेगी। विक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल विक्री सूचना बैंक की वेबसाइट्स/ वेबपेज पोर्टल: <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> तथा <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार विक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी के प्रचलनात्मक भाग पर हेल्प मैनुअल की प्रतियाँ e-B-I-BAPI पोर्टल (<https://ibapi.in>) से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। (4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होगी तथा ई-नीलामी के दौरान बोलीदाता को कोट की गई अंतिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलीदाता की अंतिम उच्च बोली के लिए ऊपर तालिका में दी गई बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि द्वारा इंटरेस बिल्डिंग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति होगी। सम्पत्ति को अधिस्ताधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी जायेगी। बोलीदाता सार्वजनिक विक्री सूचना / विक्री के नियमों एवं शर्तों के निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोली से फिट कर सकते हैं। अंतिम दस मिनटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जायेगा। सम्पत्ति उच्च बोली कोट करने के लिए बोलीदाता को सस मिनटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिनटों की सम्पत्ति के बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी। (5) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि विक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी के प्रचलनात्मक भाग पर सहायता मैनुअल का उपयोग रूप से अध्ययन कर लें तथा पूरी तरह से उद्यमता पालन करें। (6) किसी प्रकार की कठिनाई अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व अथवा उसके दौरान यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (<https://www.mstcecommerce.com>) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल द्वारा (उनके द्वारा दी गई /सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल पते पर) इसकी सूचना दी जायेगी। (8) सफल बोलीदाताओं को उसी दिन अथवा आगे का बिल्व तक पुनर्ईएमडी/आरटीजीएस द्वारा खाता नं.8062155258, आईएफएससी-CBIN0280309 में जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान विक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जन्म कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी ई-नीलामी / सम्पत्ति की विक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा चूक करने वाले केता को जन्म की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दाना नहीं होगा। (9) भुगतान में चूक: उसी दिन अथवा उपरोक्त रूप में अगले कार्यदिवस तक 25% बोली राशि (ईएमडी को बतारकर) एवं/अथवा निर्धारित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर विक्री सूचना के बोली स्वतः रद्द हो जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी तथा अन्य कोई राशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जन्म कर ली जायेगी। (10) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को विक्री राशि का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-क के अन्तर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का भुगतान करना होगा। (11) सम्पूर्ण विक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार विक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। केता को विक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सांविधिक देयताओं, करों, जीएसटी तथा रेस्ट्रु, सम्पत्तियों से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए सहित सटीम शुल्कों का वहन करना होगा। (12) विक्री प्रमाणपत्र केवल में वर्णित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नामों को शामिल सस्टीमेटुट करने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। विक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। (13) विक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी स्थगन/इंजांक्शन/प्रतिबंध के प्रचालन लम्बित रहने के दौरान विक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। आगे, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। विक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लम्बित रहने के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि पर रे-ब्याज वाली जमा खाता में रखी जायेगी। विक्री के आंशिक अथवा सम्पूर्ण/निरस्तन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की स्थिति में नीलामी को डेफॉल्ट या निरस्त कर दी जायेगी तथा विक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निष्पत्तन अथवा निरस्तन के लिये बर्लियों, क्षतिपूर्ति, अथवा लागत के लिए दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी / बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तब तक पूर्ण बोलीदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलीदाता को आमंत्रित करने सहित बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा विक्री को स्थगित /निलम्बित / रद्द करने / विक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करना का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। (15) इच्छुक केता अपने स्वयं के खर्च पर उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध टाईलड दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता 28.01.2021 से पूर्व कार्यालय के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर सकते हैं। (16) सम्पत्ति की विक्री "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर की जा रही है तथा इच्छुक केता अधिकारों तथा विक्री कर आबकारी/जीएसटी / आयकर विभाग तथा बैंक के प्रभारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारों तथा दायों/अधिकारों/देयताओं/प्रभारों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राज्य अधिलेखों/अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में स्वतंत्र प्रस्ताव एवं जाँच कर लें तथा अपनी बोली जन्म करने से पूर्व सम्पत्ति पर टाईलड के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, अधिभार, लिफ्ट, चार्ज, सांविधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सतुष्ट कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करना है तथा उसे ऐसा करता हुआ नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी नतीज पट्टी के दावों/अधिकारों/उपरोक्तों को छोड़कर (यदि कोई हो) देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद किसी के लिये रबी गई सम्पत्ति के दावों/अधिकारों/उपरोक्तों अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विषयों आदि से सम्बन्धित किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी। (17) यह बैंक विक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में कोई भी अनुमति/वाईसंस, एनओसी आदि प्राप्त करने अथवा किसी भी बकायों जैसे जन्म/ सेवा प्रभारों, चार्जज, अन्तरण शुल्कों, बिजली के बकायों, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी अथवा किसी अन्य देयताओं, करों, लेवीज, शुल्कों, उक्त सम्पत्ति की विक्री से सम्बन्धित अन्तरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देयताओं के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। (18) यह विक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। (19) यह विक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट नियमों/शर्तों/प्रावधानों तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।